न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री वसंत भारती पुत्र श्री छोगा भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
(2) सचिव, ग्राम पंचायत, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही
(3) कृष्ण कुमार पुत्र अमराराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी– बरलुट, तहसील– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 12/2018

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या– 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 06 जनवरी, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकर्ता वसंत भारती पुत्र श्री छोगा भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र अमराराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी– बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट आबादी भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन करते हुए जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, बरलुट से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या– 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 की ओर से भी लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी संख्या– 3 के हक में जिस भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन किया है वह विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या– 3 को जो भूखण्ड आवंटित किया गया है उस आवासीय भूखण्ड का प्रार्थी के पिता छोगाराम को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा निःशुल्क आवंटन करते हुए दिनांक 02.6.1989 को पट्टा जारी किया गया था जिसकी चतुर्दशी पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में नाला, उत्तर में खातेदारी भूखण्ड व [illegible] नाली है व भूखण्ड का नाप पूर्व–पश्चिम 45 फीट व उत्तर–दक्षिण 30 फीट [illegible] वर्गफीट है, जो निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में ए बी सी डी [illegible] दर्शाया है। यह प्रार्थी के पिता छोगाराम जी को निःशुल्क आवंटित भूखण्ड में [illegible] 12x12 फीट कुल 144 वर्गफीट भूमि का [illegible] दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:51:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी व उसकी माता द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 30.7.2012 को श्री वागाराम पुत्र पूनमाजी पुरोहित, निवासी– जावाल को किया गया, जो नजरी नक्शें में ई बी जी एफ भाग पर दर्शाया है व शेष भूखण्ड़ यथावत है। यह कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता अमराराम को भी वर्ष 1989 में निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन हुआ था उसका पट्टा निरस्त किया गया था। अमराराम ने उसके पुत्र मोतीराम के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157के तहत भी क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूखण्ड़ का नियमन करवाया है जिसका ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा मोतीराम पुत्र अमराराम जी के पक्ष में पट्टा संख्या 44 दिनांक 22.12.2004 को जारी किया गया है। इसके बाद, अमराराम ने उसके पुत्र कृष्ण कुमार के पक्ष में 1600 वर्गफीट भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन करवाया है जो कानूनन गलत है। यह कि मोतीराम पुत्र अमराराम का उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ प्रार्थी वसंत भारती के भूखण्ड़ के उत्तर दिशा में है। इसके बाद, अमराराम ने उसके पुत्र कृष्ण कुमार के पक्ष में 1600 वर्गफीट भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन करवाया है जो कानूनन गलत है। मोतीलाल पुत्र अमराराम के भूखण्ड़ व प्रार्थी के भूखण्ड़ के मध्य कोई दूसरा भूखण्ड़ नही है व बीच का भूखण्ड प्रार्थी वसंत भारती का है। अप्रार्थी कृष्णकुमार व उसके पिता अमराराम द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड़ पर निर्माण करने पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, बरलुट में शिकायत प्रस्तुत की गई, जिस पर ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता अमराराम पुत्र हिमाजी प्रजापत, निवासी– बरलुट को नोटिस संख्या 44 दिनांक 22.6.2018 को जारी कर सूचित किया गया कि आप द्वारा बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है एवं आप द्वारा जिस भूखण्ड़ पर निर्माण करवाया जा रहा है उस भूखण्ड का पट्टा अमराराम पुत्र हिमाजी कुम्हार के नाम से दिनांक 13.3.1989 को जारी किया गया था जो जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं आप द्वारा मोतीराम पुत्र अमराजी के नाम से दिनांक 22.12.2004 को कुटरचित तरीके से पट्टा जारी करवाया है। इस नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भूखण्ड के पास ही पूर्व में दिनांक 02.6.1989 को श्री छोगाराम पुत्र पदमाजी गोस्वामी के नाम से 30 गुणा 45 फीट का पट्टा जारी किया गया है, आप द्वारा ग्राम पंचायत की पडत भूमि व सोगाराम पुत्र पदमाजी गोस्वामी के भूखण्ड़ पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया जा रहा है जो अपराध की श्रेणी में आता है, चूंकि आप कृषि मंडी सुमेरपुर के वर्तमान में निर्वाचित सदस्य है व आपकी पत्नि श्रीमती फूलीदेवी ग्राम पंचायत, बरलुट में वार्ड पंच पर आसीन है, आप दोनों पति–पत्नि द्वारा अपने पद पर आसीन होते हुए ग्राम पंचायत के स्वामित्व व किसी और के भूखण्ड़ पर जबरन निर्माण कर रहे है जो अपराध की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जारी नोटिस का अमराराम द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही करने पर ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अमराराम पुत्र हिमाजी प्रजापत, निवासी– बरलुट को पुनः नोटिस संख्या 62 दिनांक 17.7.2018 को जारी कर अवैध निर्माण कार्य रोकने हेतु पाबन्द किया गया व इस नोटिस के द्वारा अमराराम को यह सूचित किया कि आपको ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 13.3.1989 को जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं आप द्वारा उसी खाली भूखण्ड़ का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157ख के तहत अपने पुत्र मोतीलाल पुत्र अमराराम जी के पक्ष में पट्टा संख्या 44 दिनांक 22.12.2004 को जारी करवाया है, जबकि मौके पर कोई मकान नही है एवं आप द्वारा अपने पुत्र कृष्णकुमार के पक्ष में रियायती दर भूखण्ड़ का आवंटन करवाकर पट्टा संख्या 34 [illegible] 10.2014 को जारी करवाया है, जबकि कृष्ण कुमार रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता नही रखते है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जारी नोटिस [illegible] 22.6.2018 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता [illegible] प्रार्थी के भूखण्ड़ पर अवैध रुप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:51:46 IST
Reason: SelfAttested

....पेज तीन पर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्माण करवाया जा रहा था। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जारी उक्त नोटिस दिनांक 17.7.2018 से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता अमराराम ने अपने पुत्र मोतीलाल व कृष्ण कुमार के पक्ष में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करवाये है, जबकि अप्रार्थी कृष्ण कुमार रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। यह कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.9.2018 में भी प्रश्नगत पट्टे को गलत बताया व प्रार्थी का प्रथम पट्टा सही होना माना है। प्रार्थी की शिकायत पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के आदेश पर श्री महिपाल सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 07.2.2019 के निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता के पिता सोगाराम पुत्र पदमाजी गोस्वामी, निवासी– बरलुट के नाम जारी पट्टा दिनांक 02.6.1989 पर ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों की भूल से दिनांक 30.10.2014 को पट्टा संख्या 34 जारी किया जाना जांच में प्रमाणित पाया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी कृष्ण कुमार व ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथन एक समान है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या–3 ने ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर जवाब पेश करवाया है। यह कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार जो कि साधन सम्पन्न व्यक्ति है व ग्राम में इसका पक्का आवासीय मकान बना हुआ है जो रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन कराने की पात्रता नही रखता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या– 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी कृष्ण कुमार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार का पिता अमराराम साधन सम्पन्न व्यक्ति नही है, बल्कि मजदूर पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी कृष्ण कुमार भी साधन सम्पन्न व्यक्ति नही है, बल्कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में वर्णित श्रेणी का व्यक्ति है व अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पास स्वयं का कोई आवासीय मकान या भूखण्ड नही होने से तथा पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या– 3 का अपने पिता के समय से कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत, बरलुट ने अप्रार्थी संख्या– 3 के पक्ष में बाद जांच नियमानुसार रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन कर पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को जारी किया है। अप्रार्थी कृष्ण कुमार के साधन सम्पन्न व्यक्ति होने व अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पास स्वयं का पूर्व से ही आवासीय मकान या भूखण्ड़ होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रार्थी ने प्रस्तुत नही की है। इस प्रकरण में अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पक्ष में जारी पट्टे के संबंध में निर्णय किया जाना है, जिससे प्रकरण में अमराराम व मोतीराम का कोई लेना देना नही है और जिस दिन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी किया है उस समय अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता कृषि उपज मण्डी के सदस्य नही थे व न ही अप्रार्थी कृष्ण कुमार की माता फूलीदेवी उस समय वार्ड पंच थी। अप्रार्थी कृष्ण कुमार शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति होने व अप्रार्थी कृष्ण कुमार का प्रश्नगत भूखण्ड़ पर पिता के जरिये पुराना कब्जा होने तथा अप्रार्थी कृष्ण कुमार रियायती दर पर भूखण्ड़ पर प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति होने के कारण ही ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार को नियमानुसार रियायती दर पर पट्टा जारी किया है। यह [illegible] के हक में ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जारी निःशुल्क पट्टा दिनांक 02[illegible]नगत भूखण्ड़ का नही है। प्रार्थी के निगरानी आवेदन में [illegible] संख्या– 3 के हक में आवंटित भूखण्ड़ में वर्णित चतुर्दशी [illegible] मेल नही [illegible] है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूखण्ड़ से कोई लेना देना नही है। [illegible] अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड़ का पट्टा

...पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 19:51:46 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी के पिता को जारी नही किया गया है। प्रार्थी के पिता छोगाराम को निःशुल्क आवंटित भूखण्ड अन्य भूखण्ड़ था, जिसमें से प्रार्थी वसंत भारती व प्रार्थी की माता गटुदेवी द्वारा क्षेत्रफल 12x12 वर्गफीट कुल 144 वर्गफीट भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.7.2012 (जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में दिनांक 13.8.2012 को पंजीकृत है) के द्वारा वागाराम पुत्र पूनमाजी पुरोहित, निवासी— जावाल को किया गया। प्रार्थी वंसत भारती व प्रार्थी की माता गटुदेवी द्वारा वागाराम पुत्र पूनमाजी पुरोहित, निवासी— जावाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम से पट्टा दिनांक 02.6.1989 को कुल नाप 1350 वर्गफीट का जारी किया गया है उस पट्टा शुदा भूमि में से कुछ भूमि पास में स्थित नाले में चली गई है तथा कुछ भूमि पर पडौसियों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है एवं वर्तमान में मौके पर कब्जे में 12 बाय 12 कुल 144 वर्गफीट का ही भूखण्ड़ रहा है। इस पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्शाई गई चतुर्दशी में उत्तर में अमराराम प्रजापत का भूखण्ड़ होना अंकित किया है। इस प्रकार, इस पंजीकृत दस्तावेज से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता के नाम से जारी निःशुल्क पट्टा दिनांक 02.6.1989 में से मौके पर प्रार्थी के कब्जे में जो 144 वर्गफीट था जिसका प्रार्थी द्वारा वागाराम को बेचान कर दिया गया है तथा शेष भूखण्ड़ पास स्थित नाले में चला गया व कुछ भूमि पर पडौसियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा मौके पर वर्तमान में प्रार्थी का कोई भूखण्ड़ अस्तित्व में नही है। इस पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रार्थी के पिता के पट्टे की भूमि की अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में अमराराम प्रजापत का भूखण्ड़ बताया है एवं ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार को रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में गोगुआ नाला व वसंत भारती का भूखण्ड़ बताया है, इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता छोगाराम के निःशुल्क भूखण्ड़ के उत्तर दिशा में स्थित भूखण्ड़ अप्रार्थी के पिता अमराराम का है, जिसका ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पक्ष में रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को जारी किया गया है। प्रार्थी वसंत भारती ने उसके पिता छोगाराम को निःशुल्क जारी पट्टे की भूमि का गलत रुप से बेचान किया गया है, निःशुल्क पट्टे की भूमि का बेचान विधि विरुद्ध है। यदि प्रार्थी के पिता छोगाराम के निःशुल्क पट्टे की भूमि पर पडौसियों का अतिक्रमण किया है तो उसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इसका स्पष्टीकरण प्रार्थी ने नही दिया है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता अमराराम को जारी नोटिस का ग्राम पंचायत, बरलुट में जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था, जिससे संतुष्ट होकर ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु सूचित किया था। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने अप्रार्थी कृष्ण कुमार का पक्ष सुने बिना एकतरफा जांच की गई व जांच रिपोर्ट पर आपत्ति आने पर पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट पर प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत समिति या ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। मौके पर प्रश्नगत पट्टा संख्या 34 की भूमि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के कब्जे में है व अप्रार्थी कृष्ण कुमार ने ग्राम पंचायत, बरलुट से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर चार दिवारी का निर्माण करवाया, भूखण्ड़ में पानी का हौज का निर्माण करवाया एवं पानी का कनेक्शन लिया, तब प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति नही की गई, लेकिन प्रार्थी [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टा दिनांक [illegible] को आधार पर बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर यह नि[illegible] है, [illegible] प्रार्थी के पिता छोगाराम के निःशुल्क पट्टे का [illegible] अन्यत्र स्थ[illegible] है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:51:46 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बहस के दौरान ग्राम पंचायत, बरलुट के विद्वान अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत, बरलुट के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार को पट्टे के आधार पर निर्माण करने की स्वीकृति जारी की गई तथा विवाद होने पर ग्राम पंचायत, बरलुट ने त्वरित कार्यवाई करते हुए नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को रुकवाया और जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया। इन नोटिसों को प्रार्थी ने ग्राम पंचायत का निर्णय मान लिया। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी इन नोटिसों का ग्राम पंचायत, बरलुट में अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता अमराराम के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद ग्राम पंचायत, बरलुट ने जवाब से संतुष्ट होकर प्रार्थी वंसत भारती को सूचित किया कि अमराराम के पुत्रों के नाम से जारी पट्टो की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं यदि आपको अमराराम के पुत्रों के नाम से जारी पट्टो से कोई शिकायत है तो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है। यह कि प्रार्थी वंसत भारती द्वारा उसके पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे की भूमि में से 144 वर्गफीट भूमि का वागाराम को विक्रय किया है, इस विक्रय विलेख में प्रार्थी व उसकी माता गटुदेवी ने यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे के भूखण्ड में से मौके पर केवल 144 वर्गफीट भूखण्ड ही है, जिसका विक्रय वागाराम पुत्र पूनमाजी पुरोहित को किया गया है व शेष भूखण्ड नाले की भूमि में चला गया व कुछ पर पडौसियों ने अतिक्रमण कर लिया। इससे यह स्पष्ट है कि मौके पर प्रार्थी के पिता के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे का कोई भूखण्ड अस्तित्व में नही है तथा निःशुल्क पट्टे का बेचान भी विधि विरुद्ध है। प्रार्थी के पिता के नाम से जारी पट्टे की भूमि पर किस–किस पडौसी द्वारा कितना–कितना अतिक्रमण किया गया है यह प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में स्पष्ट नही किया है। यदि किसी पडौसी द्वारा प्रार्थी के पिता के नाम से जारी निःशुल्क भूखण्ड पर अतिक्रमण किया है तो इस बिन्दु को सक्षम सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है, लेकिन प्रार्थी ने सक्षम सिविल न्यायालय में अतिक्रमण के संबंध में कोई कार्यवाही नही की है। यह कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पास स्वयं का कोई आवासीय मकान या भूखण्ड नही था एवं अप्रार्थी कृष्ण कुमार भूमिहीन होने व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत वर्णित श्रेणी का पात्र व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत, बरलुट ने बाद जांच अप्रार्थी कृष्ण कुमार को नियमानुसार रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को जारी किया गया है। प्रार्थी वंसत भारती ने ऐसी कोई भी साक्ष्य पेश नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता नही रखता हो। अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पिता को वर्ष 1989 में निःशुल्क आवंटित भूखण्ड का पट्टा निरस्त हो जाने के बाद अमराराम का प्रकरण ही समाप्त हो गया। यह कि ग्राम पंचायत, बरलुट के तत्कालीन सरपंच समुद्रसिंह के समय जारी सभी पट्टो को निरस्त किया गया है, उसमे प्रार्थी का पट्टा भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अमराराम के पुत्र मोतीलाल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा मोतीराम पुत्र अमराराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 22.12.2004 में अंकित चतुर्दशी में प्रार्थी के पिता के पट्टे का कोई हवाला नही है। प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे में अंकित चतुर्दशी में केवल नाला ही अंकित है, गोगुआ नाले का हवाला इस निःशुल्क पट्टे की चतुर्दशी में नही है तथा पट्टे में अंकित चतुर्दशी मौके की स्थिति [illegible] ही नही खाती है, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि का प्रार्थी [illegible] पिता [illegible]राम से जारी निःशुल्क पट्टे की भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रार्थी के पिता [illegible] नाम से जारी निःशुल्क पट्टे का भूखण्ड अन्यत्र स्थान पर है। प्रार्थी के अधिवक्ता [illegible] प्रस्तुत श्री महिपाल सिंह, पंचायत प्रसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:51:46 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छः पर

सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट जो यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में दर्ज होने के बाद की होने के कारण इस जांच रिपोर्ट को साक्ष्य में स्वीकार नही किया जा सकता है। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट को पंचायत समिति, सिरोही के विधि सहायक ने सही नही माना है, इसलिये पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नही की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण के कथनों के जवाब में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि मोतीलाल के पट्टे की चतुर्दशी में गोपाराम का गैरेज बताया है, जो दूर स्थित है। अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पट्टे में उत्तर में मोतीलाल पुत्र अमरा जी कुम्हार का भूखण्ड व दक्षिण दिशा में प्रार्थी वसंत भारती का भूखण्ड बताया है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड की भूमि प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे की भूमि है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में यह भी व्यक्त किया कि यदि प्रार्थी की भूमि पर किसी ने अतिक्रमण किया है और उसे प्रार्थी हटाने की कार्यवाही नही करता है तो भी उस पट्टेशुदा भूमि का दूसरा पट्टा कानूनन जारी नही किया जा सकता है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र अमराराम जी कुम्हार, निवासी– बरलुट के पक्ष में पंचायत सकंल्प संख्या 4 दिनांक 22.9.2014 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट आबादी भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत पंचायत द्वारा कमजोर वर्गो को भूमि का आवंटन करने का प्रावधान है जिसके तहत, पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है को रियायती दर पर या निःशुल्क आवंटन कर सकती है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने से पहले अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पास स्वयं का आवासीय गृह या भूखण्ड हो। प्रार्थी पक्ष ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन कराने की की पात्रता नही रखता हो, लेकिन प्रार्थी का यह कथन है कि "प्रार्थी के पिता छोगाराम पुत्र पदमाजी गोस्वामी, निवासी– बरलुट के पक्ष में ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा 1350 वर्गफीट भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन करते हुए पट्टा दिनांक 02.6.1989 को जारी किया गया है एवं प्रार्थी के पिता छोगाराम को निःशुल्क आवंटित इस भूखण्ड के पट्टे की भूमि का ग्राम पंचायत, बरलुट द्वा[illegible] कृष्ण कुमार को रियायती दर पर पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को [illegible] गया है, जो कानूनन गलत है।" इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों [illegible] अवलोकन करने पर यह पाया कि प्रार्थी के पिता छोगाराम को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखण्ड का जारी पट्टा दिनांक 02.6.1989 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा,

...पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:51:46 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पश्चिम दिशा में नाला, उत्तर दिशा में खाली भूखण्ड़ व दक्षिण दिशा में नाला होना दर्शाया है व इस निःशुल्क पट्टे की भूमि का नाप पूर्व–पश्चिम 45 फीट व उत्तर–दक्षिण 30 फीट कुल 1350 वर्गफीट है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया कि प्रार्थी वसंत भारती व उसकी माता गट्टुदेवी पत्नि छोगाराम भारती द्वारा उक्त निःशुल्क पट्टा दिनांक 02.6.1989 की भूमि में से 12x12 फीट कुल 144 वर्गफीट भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.7.2012 (जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही से दिनांक 13.8.2012 को पंजीकृत है) के द्वारा वागाराम पुत्र पूनमाजी पुरोहित, निवासी– जावाल को विक्रय किया गया है, इस विक्रय विलेख में यह स्पष्ट अंकित किया है कि इस पट्टा शुदा भूमि में से कुछ भूमि पास में स्थित नाले में चली गई है तथा कुछ भूमि पर पडौसियों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है व मौके पर केवल 12 बाय 12 कुल 144 वर्गफीट भूमि ही है। इस विक्रय विलेख में विक्रय किये गये 144 वर्गफीट भूखण्ड़ की अंकित चतुर्दशी में पूर्व में सड़क, पश्चिम में नाला व खाली जमीन, उत्तनर में अमराराम प्रजापत का प्लॉट व दक्षिण दिशा में नाला होना दर्शाया है, जबकि अप्रार्थी कृष्ण कुमार को रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 के भूखण्ड़ की अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा मोतीलाल पुत्र अमराजी कुम्हार, दक्षिण दिशा में गोगुआ नाला व वंसत भारती का प्लॉट, पूर्व में सड़क व दक्षिण दिशा में गोगुआ नाला होना दर्शाया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी वंसत भारती के पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टा दिनांक 02.6.1989 की भूमि व प्रश्नगत पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 की भूमि एक–दूसरे से लगते हुए स्थित है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.7.2012 के अनुसार प्रार्थी के पिता छोगाराम के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे की भूमि में से कुछ भूमि पर पडौसियों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, इस तथ्य की मौके व रेकर्ड अनुसार गहन जांच होनी आवश्यक है कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 की भूमि में प्रार्थी के पिता छोगाराम पुत्र पदमाजी भारती, निवासी– बरलुट के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे की भूमि तो सम्मिलित नही है, क्योंकि कानूनन पट्टे शुदा भूमि पर पुनः पट्टा जारी नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र अमराराम जी कुम्हार, निवासी– बरलुट के पक्ष में क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट भूखण्ड़ का रियायती दर पर आवंटन का जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, बरलुट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी वसंत भारती के पिता छोगाराम पुत्र पदमाजी भारती, निवासी– बरलुट के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 02.6.1989 की भूमि एवं अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र अमराराम जी कुम्हार, निवासी– बरलुट को रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.10.2014 की भूमि के मौके व रेकर्ड की गहनता पूर्वक जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:51:46 IST
Reason: SelfAttested

6/1/2021
(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

कलेक्टर
सिरोही (राज०)